न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी : तारा चन्द मीणा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 30/2020 (रा.अ.)
पंजीयन दिनांक 09.12.2020
G.C.M.S. NO. :- 2020/00404

1–अम्बालाल पिता हजारी जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2–घीसी बाई पुत्री हजारी जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
3–बिलासीराम पिता दौलतराम जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–अपीलार्थीगण

बनाम

सत्यनारायण पिता चतुर्भुज जाति जाट उम्र वयस्क, निवासी पाटनिया, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

–रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ बमिसल कमांक 2/2020 आदेश दिनांक 10.08.2020

उपस्थितिः– 1– श्री छोगालाल जाट अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2– सुश्री प्रेमलता गोस्वामी, अधिवक्ता विपक्षी

निर्णय

दिनांक 27.07.2021

अपीलार्थीगण द्वारा अपील इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहसील चित्तौड़गढ़ के ग्राम पाटनिया स्थित रेस्पोडेन्ट की कृषि आराजी नम्बर 909/793 व आराजी नम्बर 793/2 की उत्तर दिशा की ओर अपीलार्थीगण की कृषि आराजी नम्बर 765 रकबा 1.86 है. स्थित है जिसमें से बारिश के मौसम में रेस्पोडेन्ट के खेतों का पानी उत्तर दिशा की ओर 50 वर्षो से स्थित पुरानी खन्दक में से होकर गुजरता है जिसे अपीलार्थीगण द्वारा 2–3 ट्रेक्टर मलबे व

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

मिट्टी डालकर भर दिया है जिससे पानी की निकासी अवरूद्ध होने से रेस्पोडेन्ट की फसल नष्ट हो गई जिसे पुनः खुलवाने हेतु निवेदन करने पर अधीनस्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा बिना कोई जांच पडताल किए अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए अपीलार्थीगण द्वारा प्राकृतिक बहाव की बनी नाली को अवरूद्ध कर देने से उस अवरोध को हटा पुनः निकासी बहाल करने संबंधी एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 10.08.2020 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सूचना पत्र जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता सुश्री प्रेमलता गोस्वामी ने अधिकार पत्र पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय से संबंधित पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे बहस किए जाने हेतु निवेदन करने पर बहस प्रकरण उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने कथन किया कि रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि उसके मौजा पाटनिया की कृषि आराजीयात आ. नं. 909/793 व 793/2 में बारिश के मौसम में खेतों का बारिश का पानी अपीलार्थीगण की आराजीयात आराजी नम्बर 765 रकबा 1.86 है. में से उत्तर दिशा की ओर स्थित 50 वर्ष पुरानी तीन फीट चौडी व तीन फीट गहरी खन्दक होना व नाले में गिरना बताकर अपीलांट संख्या 2 व 3 ने ट्रेक्टर से मलबा व मिट्टी डालकर पानी की निकासी को अवरूद्ध कर दिया है जिससे गत वर्ष रेस्पोडेन्ट की फसल गल कर नष्ट हो गई व अपीलांट द्वारा मलबे व मिट्टी डालकर अवरूद्ध की गई बारिश के पानी की निकासी को पुनः खुलवाये जाने हेतु निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर अपीलार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया जिस पर अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता नियुक्त किया जाकर अधिकार पत्र प्रस्तुत कर जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा परन्तु उक्त पत्रावली में आगामी तारीख पेशी बाद में दिये जाना बताते हुए कोई तारीख पेशी नहीं दी गई व दिनांक 04.08.2020 को बिना अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता को सूचना दिये अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर दिनांक 10.08.2020 को एक तरफा निर्णय पारित कर दिया जो विधि-विरूद्ध है। आराजी नम्बर 765 अपीलार्थीगण की खातेदारी की होकर अपीलार्थीगण उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे हैं उक्त आराजीयात के उत्तर दिशा में कभी कोई खन्दक या नाला नहीं रहा है न ही रेस्पोडेन्ट की आराजीयात का पानी अपीलार्थीगण की आराजी नं. 765 में से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलैक्टर
चित्तौड़गढ़

होकर जाता है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की बिना कोई जांच किए मात्र रेस्पोडेन्ट के कथनों के अनुसार बिना साक्ष्य व सबूत के रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र धारा 251, काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया जो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 के तहत स्वीकार योग्य नहीं था। बरसाती पानी को निकालना सिविल अधिकार है जिसका निस्तारण सिविल कोर्ट ही कर सकती है। अपीलार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर आदेश पारित करने से अपीलार्थीगण को निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.11.2020 को पटवारी हल्का से हुई उसी दिन पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 06.11.2020 को प्राप्त हुई तत्पश्चात् विधि सलाहकार से राय प्राप्त कर अपील बाद जानकारी अन्दर म्याद पेश है फिर भी अपील में हुए विलम्ब को विस्तारित करने हेतु धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2020 निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का मुख्य कथन यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की जांच करवाकर आदेश पारित किया है मौके पर अपीलार्थीगण द्वारा बरसात के पानी की निकासी को अवरूद्ध करना सिद्ध पाया जाने से ही अधीनस्थ न्यायालय ने बरसात के पानी की निकासी के अवरूद्ध मार्ग को पुनः खुलवाने का आदेश पारित किया है जो विधि-सम्मत् होने से अपील निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथ-पत्र के मद्देनजर विलम्ब के संबंध में नरमी का रूख अपनाते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जाना न्यायोचित समझते हैं। तद्नुसार धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलार्थीगण को सूचना पत्र जारी करने पर अपीलार्थी संख्या 1 व 3 ने अधिवक्ता के मार्फत् अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थिति दी है एवं दिनांक 04.08.2020 अपीलार्थीगण के जवाब हेतु नियत की है तथा दिनांक 04.08.2020 को अपीलार्थीगण व उनके अधिवक्ता के न्यायालय में बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एक पक्षीय

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

कार्यवाही के आदेश पारित किए हैं। अतः अपीलार्थीगण का कथन कि आगामी तारीख पेशी बाद में दिया जाना बताते हुए उक्त पत्रावली में कोई तारीख पेशी नहीं दी गई व एक तरफा बहस सुनी जाकर आदेश पारित कर दिया व सुनवाई का अवसर नहीं दिया मानने योग्य नहीं है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवार हल्का शंभूपुरा की रिपोर्ट मय मौका पर्चा का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका जांच कराकर आदेश पारित किया है। अतः अपीलार्थीगण का कथन कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों की बिना कोई जांच किए मात्र रेस्पोडेन्ट के कथनों के अनुसार बिना साक्ष्य व सबूत के रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है मानने योग्य नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी का कथन कि उक्त प्रार्थना पत्र धारा 251 के तहत स्वीकार योग्य नहीं था। बरसाती पानी को निकालना सिविल अधिकार है जिसका निस्तारण सिविल कोर्ट ही कर सकती है। वहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निम्नानुसार है:-"धारा 251- मार्ग तथा अन्य निजी सुखचारों के अधिकारः- किसी भू-धारक के मार्गाधिकार या अन्य सुखाचार या अधिकार में जिसका वह वास्तव में उपभोग कर रहा हो, विधि के सम्यक् क्रम से भिन्न रूप से उसकी सम्पत्ति के बिना ऐसे उपभोग में विघ्न डाले जाने की दशा में तहसीलदार इस प्रकार विघ्नग्रस्त भू-धारक के आवेदन पर और ऐसे उपभोग और विघ्न के तथ्य पर संक्षेपतः जांच करने के पश्चात् विघ्न को हटाये जाने अथवा उसको रोके जाने के लिए आदेश दे सकेगा और धारक-आवेदक को ऐसे उपभोग का प्रत्यावर्तन किये जाने का आदेश दे सकेगा, भले ही ऐसे प्रत्यावर्तन के विरूद्ध किसी अन्य हक का प्रश्न तहसीलदार के सामने जताया गया हो।" जिसके तहत धारा 251, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 भू-धारक को मार्गाधिकार तथा अन्य सुखाचार या अधिकार का आनन्द लेने में आई बाधाओं को दूर करने के लिए संक्षिप्त जांच द्वारा उपचार प्रदान करती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट एवं पर्चा मौका में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि "आ. नं. 909/793 रकबा 0.70 है. व आ. नं. 793/2 रकबा 2.40 है. रेस्पोडेन्ट के नाम होकर उक्त खेत में पानी का निकास आ. नं. 765 रकबा 1.86 है. जो कि अपीलार्थीगण के खातेदारी की है में से होकर जाता है। वर्तमान में इस आराजी पर बिलासीराम पिता दौलतराम जाट काश्त करता है। मौके पर पानी की निकासी हेतु नाली (खन्दक) मौजूद है जिसमें से पानी की निकासी वर्षो से होती आ रही है। उपस्थित सभी मौतबिरान

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

द्वारा बताया कि कई वर्षो से इस खेत की पानी की निकासी इसी खन्दक मे से होती है जिसको बिलासीराम पिता दौलतराम जाट ने अवरूद्ध कर दिया है जिससे सत्यनारायण पिता चतुर्भुज जाट के खेत में पानी भरने से पूरी फसल चौपट हो जाती है।'' उक्त पर्चा मौका ग्राम के मौतबिरान की उपस्थिति में तैयार किया गया जिस पर ग्राम के मौतबिरान के हस्ताक्षर मौजूद है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण द्वारा रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी संख्या 909/793 व 793/2 मे से बहकर आने वाले बरसात के पानी (प्राकृतिक बहाव) जो कि अपीलार्थीगण के खातेदारी की आराजी संख्या 765 रकबा 1.86 है. में से होकर गुजरता है और मौके पर बनी नाली (खन्दक) के माध्यम से पानी की निकासी होती है, जिसको अवरूद्ध करना प्रमाणित पाया जाता है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2020 यथावत रखा जाता है।

''निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।''

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलेक्टर
चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)